

conservation and regeneration.

(ii) Arousing consciousness amongst non-student youth who have clear perceptions of problems confronting the entire country and society like social evils, atrocities on women, alcoholism, drug abuse etc.

(iii) Organisation of youth clubs at Block and District levels, group activities for community work camps, democratic leadership development and to foster in them in emotional involvement and spirit of national identity.

(iv) to tap the enormous unorganised potential of non-student youth so that their energy and personality could be moulded to the benefit of society and to make them functionally efficient, economically productive and spiritually and morally conscious entities.

(c) During the years 1990-91, 1991-92 the following financial allotment was made for the Kendras in Arunachal Pradesh:—

	1990-91* (Rs.)	1991-92* (Rs.)
West Siang	1,12,806	1,57,773
Lower Subansari	1,19,922	1,31,466
Upper Subansari	98,126	33,263

*These figures include unspent balance from previous financial years.

व्यावसायिक डिग्रियां प्रदान किया जाना

2874. श्री विश्वासराव रामराव पाटिल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की चिकित्सा (एम०बी०बी०एस०) और इंजीनियरी (बी०ई०) व्यावसायिकों के लिए अपने-अपने व्यवसाय में डिग्री प्रदान किये जाने के योग्य बनने के पहले उन्हीं क्षेत्रों में कम से कम 10 वर्षों की सेवा करने को अनिवार्य बनाने के लिए कोई योजना है जिससे कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सेवा करते रहें और

प्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यवसायों में उनके प्रवेश को प्रतिबन्धित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौर क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) डिग्रियां, विश्वविद्यालयों/सम-विश्वविद्यालयों द्वारा अध्ययन और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित, आवश्यक अपेक्षाओं के पूरा किए जाने के बाद प्रदान की जाती हैं। अतः व्यावसायिक डिग्री प्रदान करना, अनिवार्यतः किसी एक व्यक्ति द्वारा उसकी भावी जीविका के लिए अपनाए जाने वाले व्यवसाय से सम्बंधित नहीं होता।

नर्मदा बांध को ध्यान में रखते हुए पुरातात्विक वस्तुओं को स्थानान्तरित किया जाना

2875. श्री विश्वासराव रामराव पाटिल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नर्मदा बांध के बन जाने पर कई मंदिर और महत्वपूर्ण पुरातात्विक वस्तुएं नष्ट हो जायेंगी;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौर क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि पुरातात्विक विभाग इनमें से कुछ मंदिरों को स्थानान्तरित कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौर क्या है और इन्हें किन-किन स्थानों पर स्थानान्तरित किया जायेगा;

(ङ) क्या यह भी सच है कि सरकार बाजीराव पेशवा की छतरी को स्थानान्तरित नहीं कर रही है;

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार उक्त छतरी को स्थानान्तरित करने के लिए क्या कदम उठायेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) मध्य प्रदेश के चार केन्द्रीय संरक्षित स्मारक जिनके नाम चौबीस अवतार मंदिर, मांधाता, जिला खंडवा; बाजी राव पेशवा की छतरी, रावरखेड़ी जिला खरगोन; सिद्धेश्वर मंदिर, निमावर, जिला